

# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

14AA 446032

प्रारूप 26

(नियम 4 के देखिए)

५२ अल्मोड़ा निर्वाचन क्षेत्र से  
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

मैं श्रीखण्ड लखनीश

पुत्र/पुत्री/प्रती श्री इरीश चौहान लखनीश  
देवदार इडब्ल्यू केट अल्मोड़ा

आयु ५२ वर्ष जो म.से.

का/की निवासी हूँ और उपरोक्त

निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता

हूँ/करती हूँ—

ऐसे किसी लम्बित मासले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोपित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किरणी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लगू नहीं/लागू नहीं

जिला (ज़िले) लगू नहीं

(ii) पुलिस थाना (थाने) लगू नहीं

राज्य लगू नहीं

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है लगू नहीं



- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई उत्तराखण्ड नदी  
 (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गए थे उत्तराखण्ड नदी  
 (vi) क्या सभी हाँ कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं नहीं
2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ढहसाया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए करावास से दंडादिष्ट किया गया है / दंडादिष्ट नहीं किया गया है। (यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)
- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं उत्तराखण्ड नदी  
 (ii) न्यायालय जिसने दंडित किया है कुछ नहीं  
 (iii) पुलिस थाना (थाने) लालूपाटा जिला (जिले) लालूपाटा राज्य उत्तराखण्ड नदी  
 (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है कुछ नहीं  
 (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे उत्तराखण्ड नदी  
 (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गये हैं उत्तराखण्ड नदी

स्थान : उत्तराखण्ड


तारीख : १०-०१-२०१२

  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

#### सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं हैं और कोई तात्पर्य वाली बात छिपायी नहीं गई है।

उत्तराखण्ड राज्य पर आज तारीख १०-०१-२०१२ को  
सत्यापित किया।

  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी : इस प्ररूप के वे स्तंभ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।

Certified that on the day of 10-01-2012  
 the deponent, identified by B.S. Mijyan Ali  
 Sworn and Verified the contents of  
 this Affidavit At Almora  
 on 10-01-12 At 1.35 P.M.  
 Keshav  
 Kundan Singh Banjara  
 Notary, H.Q. Almora (U.K.)  
 Reg. No. 15 (02) 2004

